न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना आई.ए.एस

अपील संख्याः 75/2011 एल.आर.एक्ट

भैराराम पुत्र चोरुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम करमीसर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मु.आ. श्यामसुन्दर पुत्र श्री गोपालराम जाति जाट निवासी गजनेर रोड़, बीकानेर ।

..... अपीलान्ट्

बनाम

1. पाबुराम पुत्र रुपाराम जाति नायकनिवासी ग्राम करमीसर तह0जिला बीकानेर ।
2. श्रीमती पूनम पुत्री रुपाराम जाति नायकनिवासी ग्राम करमीसर तह0जिला बीकानेर
4 स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः 1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 8.1.2020

1. यह द्वितीय अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 21.6.2011 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है । जिसके द्वारा तहसीलदार बीकानेर का पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 30.7.09 यथावत रखते हुए प्रथम अपील खारिज की गयी, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करमीसर तहसील, बीकानेर के खसरा नं0 88/60/1 में कुल 27.4 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज(टी.सी) दर्ज थी । उक्त भूमि में से 20 बीघा भूमि पाबूदान पुत्र रुपाराम, श्रीमती पुनमा पुत्री रुपाराम जाति नायक के नाम से (उपनिवेशन विभाग द्वारा 12 बीघा पुख्ता) आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जारी की गयी खातेदारी सनद सं0बीटी/ एलआर /05/क्रमांक 1782–83 दिनांक 22.6.05 का खातेदारी नामान्तरकरण एवं पाबुदान पुत्र रुपाराम व श्रीमती पुनमा पुत्र रुपाराम द्वारा उनके नाम से खातेदारी में दर्ज 20 बीघा भूमि का दिनांक 18.6.09 को अपीलार्थी भैराराम के पक्ष में बेचान करने पर तहसीलदार, बीकानेर द्वारा बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 572 दिनांक 14.7.09 स्वीकृत किया गया । तहसीलदार, बीकानेर द्वारा उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 572 का पुनर्विलोकन कर दिनांक 30.7.09 को अस्वीकृत कर दिया गया । उक्त पुनर्विलोकन आदेश 30.7.09 के विरुध्द अपीलार्थी भैराराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील सं0 61/2010 प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.6.11 द्वारा खारिज करने पर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवम् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने में मुख्य आधार उक्त ग्राम करमीसर मास्टर प्लान में होना बताया है, जिस पर प्रदत्त खातेदारी को स्वतः शून्य माना है, जबकि करमीसर ग्राम की खातेदारी देने के लिए राज्य सरकार का विशिष्ट आदेश क्रमांक प.3(29)उप/86 दिनांक 29.9.95 जारी किया हुआ है, के आधार पर ही रेस्पोन्डेंट सं0 1व 2 के नाम तहसीलदार, बीकानेर द्वारा दिनांक 22.6.05 के आदेश द्वारा खातेदारी दी हुई है एवं खातेदारी के पश्चात अपीलान्ट द्वारा सद्भावी केता के रुप में खातेदारी भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा क्रय की गयी, जिस पर बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 572 दिनांक 14.7.09 को स्वीकृत किया गया । परन्तु तहसीलदार बीकानेर द्वारा इकतरफा तौर पर पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 30.7.09 पारित कर उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना माइण्ड अप्लाई किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.11 पारित किया गया है। यह कि खातेदारी से सम्बन्धित सनद सं0बीटी/एलआर /05/क्रमांक 1782–83 दिनांक 22.6.05 का विवरण इन्तकाल सं0572 में दर्ज है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसका अभिलेख में कोई विवरण दर्ज नहीं है, का तथ्य दर्ज किया है, जो निर्णय स्वयं विरोधाभाषी है, क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिकॉर्ड तलब ही नहीं किया है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील मुखत्यारआम की तरफ से ड्राफ्ट होनी नहीं मानकर खारिज की है, जो विधि सम्मत नहीं है । क्योंकि वकालतनामा एवम् शपथपत्र में सम्पूर्ण विवरण अंकित है और वकील के हस्ताक्षर ही कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त है। यह कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है । अतः तहसीलदार, बीकानेर का पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 30.7.09 एवं अपीलधीन आदेश दिनांक 21.6.11 निरस्त फरमाया जाकर इन्तकाल सं0 572 दिनांक 14.7.09 को बहाल किया जावे । इस सम्बन्ध में आरआरटी 2011–12 (एसयूपी) पेज 673 एवं आरआरटी 2011–12 (एसयूपी) पेज 202 अवलोकनीय बताया ।

5. प्रकरण में राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि नामान्तरकरण सं0 572 दिनांक 14.7.09 खातेदारी एवं बैयनामा का स्वीकृत किया गया, परन्तु रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 को दी गयी टी.सी. खातेदारी निरस्त होने से नियमानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण को पुनर्विलोकन की मियाद अवधि में ही अस्वीकृत किया गया है, जो नियमानुसार है । जब पाबूराम व पूनम के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई, तब भैराराम के पक्ष में किया बेचान ही अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील का निर्णय नियमानुसार ही किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । न्यायालय को निष्कर्ष निम्नवत है :–

I. प्रकरण अनुसार ग्राम करमीसर तहसील, बीकानेर के खसरा नं0 88/60/1 में कुल 27.4 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज(टी.सी) दर्ज थी । उक्त भूमि में से 20 बीघा भूमि पाबूदान पुत्र रुपाराम, श्रीमती पुनमा पुत्री रुपाराम जाति नायक के नाम से (उपनिवेशन विभाग द्वारा 12 बीघा पुख्ता) आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जारी की गयी खातेदारी सनद सं0बीटी/एलआर /05/कमांक 1782–83 दिनांक 22.6.05 जारी की गयी, जिसके आधार पर रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 पाबुदान श्रीमती पुनमा द्वारा उनके नाम से दर्ज 20 बीघा भूमि का दिनांक 18.6.09 को अपीलार्थी भैराराम के पक्ष में बेचान करने पर तहसीलदार, बीकानेर द्वारा खातेदारी/ बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 572 दिनांक 14.7.09 स्वीकृत किया गया । तहसीलदार, बीकानेर द्वारा उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 572 का पुनर्विलोकन कर दिनांक 30.7.09 को इकतरफा तौर पर अस्वीकृत किया गया है । जबकि खातेदारी निरस्त होने के सम्बन्ध में कोई आदेश नामान्तरकरण पंजिका में चस्पा नहीं किया गया है । तहसीलदार, बीकानेर द्वारा खातेदारी/बैयनामा का नामान्तरकण सं0 572 पुनर्विलोकन कर निरस्त करने से पूर्व कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है ।

II. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में यह आधार लिया है कि मास्टर प्लान गांव करमीसर में खातेदारी अधिकार प्रदान करने पर आदेश दिनांक 4.7.03 से रोक होने एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग के आदेश दिनांक 18.11.04 के अनुसार मास्टर प्लान भूमि का नियमन एवं आवंटन प्रतिबन्धित होने से इन्तकाल सं0 572 से पाबूदान के नाम दर्ज हुई प्रविष्टि सक्षम आज्ञा के विपरीत बताई गयी है । जबकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग के पत्रांक प.3(29)उप/86 दिनांक 29.9.95 द्वारा ग्राम करमीसर गांव के 189 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया गया है कि पुराने आवंटियों/टीसी.होल्डर्स को राज्यादेश दिनांक 3.1.79 एवं 4.1.89 के अनुसार खातेदारी अधिकारी देने की कार्यवाही की जावे । उक्त आदेशानुसार इस प्रकरण में खातेदारी दी है तो आदेश दिनांक 18.11.04 पश्चात वर्ती होने से इस पर लागू नहीं होता है

III. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में द्वितीय आधार यह लिया है कि अपीलान्ट पक्ष खातेदारी आदेशों की प्रति एवं निरस्त करने की प्रति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है । जबकि प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर द्वारा खातेदारी आदेश सं0बीटी/एलआर /05/कमांक 1782–83 दिनांक 22.6.05 जारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होकर नामान्तरकरण सं0572 दिनांक 14.7.09 स्वीकृत किया गया है । प्रकरण में खातेदारी जारी होने का आदेश एवं निरस्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का दायित्व पैरोकार राज पर था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अपीलान्ट पर उत्तरदायित्व दिया जाकर प्रथम अपील निरस्त की गयी ।

IV. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील निरस्त करने हेतु तृतीय आधार यह लिया है कि अपील भैराराम की तरफ से पेश हुई है, जिस पर हस्ताक्षर मुखत्यार आम श्यामसुन्दर ने किये हैं । जबकि ड्राफ्टिंग में जरिये मुखत्यारआम करते हुए अपील ड्राफ्ट होनी चाहिये । न्यायालय के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील मुखत्यारआम द्वारा ही अपीलमीमो वकालतनामा पर हस्ताक्षर अंकित कर जरिये अभिभाषक प्रस्तुत की गयी है एवं मुखत्यारआम द्वारा अपील के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । केवल ड्राफ्टिंग में शीर्षक पर जरिये मुखत्यारआम लिखने में त्रुटि हुई है । किन्तु इस आधार पर अपील को निरस्त किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आधार लिया है, वह उचित नहीं है ।

7. उपरोक्त विवेचन अनुसार यह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.11 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अभिलेख अनुसार खातेदारी निरस्त हुई है अथवा कल्पना के आधार पर पुनर्विलोकन किया गया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट/रेस्पोन्डेंट सं01 व 2 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है । प्रकरण में ग्राम करमीसर के बाबत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.9.95 अनुसार पुराने आवंटी/टीसी होल्डर्स को खातेदारी देने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाने पर रेस्पो0नं0 1 व 2 को तहसीलदार द्वारा खातेदारी दी गयी है, जिस पर नामान्तरकरण सं0 572/14.7.09 स्वीकृत हुआ है । अतः आदेश पुनर्विलोकन 30.7.09 पुनः जांच की जावे एवम् अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे ।

8. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8.1.20 लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर